

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।

मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग।

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग।

सभी वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग।

कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक-13/3/26

विषय:- विभागीय समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-11243 (भ), पटना, दिनांक-15.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार दिनांक:-18.03.2026 (बुधवार) को अधिवेशन भवन, पटना के मुख्य सभागार में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई है:-

क्र०	विभाग का नाम	समय
1	भवन निर्माण विभाग	10.30-10.50 बजे पूर्वाह्न भ.नि.वि. की योजनाओं के संबंध में।
2	विधि विभाग	10.50-11.10 बजे पूर्वाह्न
3	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	11.10-11.25 बजे पूर्वाह्न
4	आपदा प्रबंधन विभाग	11.25-11.40 बजे पूर्वाह्न
5	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	11.40-12.00 बजे अपराह्न
6	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	12.00-12.25 बजे अपराह्न
7	गृह(कारा) विभाग	12.25-12.40 बजे अपराह्न
8	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	12.40-12.55 बजे अपराह्न
9	कला एवं संस्कृति विभाग	12.55-01.15 बजे अपराह्न
10	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	01.15-01.30 बजे अपराह्न
11	ग्रामीण विकास विभाग	01.30-01.50 बजे अपराह्न
12	सामान्य प्रशासन विभाग	01.50-02.00 बजे अपराह्न
भोजनावकाश		02.00-03.00 बजे अपराह्न
13	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	03.00-03.15 बजे अपराह्न
14	सहकारिता विभाग	03.15-03.30 बजे अपराह्न
15	कृषि विभाग	03.30-03.45 बजे अपराह्न
16	पंचायती राज विभाग	03.45-04.05 बजे अपराह्न
17	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	04.05-04.15 बजे अपराह्न
18	वाणिज्य कर विभाग	04.15-04.30 बजे अपराह्न
19	खेल विभाग	04.30-04.45 बजे अपराह्न
20	युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	04.45-05.00 बजे अपराह्न
21	गुणवत्ता अनुश्रवण की समीक्षा (मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण)	05.00-05.30 बजे अपराह्न
22	ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र,वाद/अवमाननावाद, सेवांत लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित	05.30-06.00 बजे अपराह्न

